न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

माधू बनाम चम्पालाल व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 231/2025 (पीसांगन) मसूदा

रिमा05
19/5/25

	श्री हसनखान	
19.05.2025	माधू बनाम चम्पालाल वगैरह(2025/231) यह अपील श्री हसन खान एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 92/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0बी0जे0 (18) 2011 पेज संख्या 174, 2018 आर0बी0जे0 पेज संख्या 503, 2018 आर0बी0जे0 पेज संख्या 499, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज संख्या 523 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमं पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकनद अवलोकन हमने पाया कि दिनांक 01.09.2022 अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अप्रार्थी/ अपीलांट के जवाब हेतु नियमित तारीख पेशी दी जाती रही किन्तु अप्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2024 अप्रार्थी को सुना जाकर अंतरिम स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।	

लगातार...

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

माधू बनाम चम्पालाल व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 231/2025 (~~पीसांमन~~) मशूदा

लगातार....	अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी०ए० संख्या 231 /2025 जिला ब्यावर

2025/231

माधू पुत्र गोपाल, जाति जाट, निवासी बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।

—— अपीलांट

बनाम्

1. चम्पालाल पुत्र बक्षा उर्फ बख्ता पौत्र गोदू उर्फ गोदा, जाति जाट, निवासी बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
2. जीवराज पुत्र बक्षा उर्फ बख्ता पौत्र गोदू उर्फ गोदा, जाति जाट, निवासी बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा जिला ब्यावर।
4. उप पंजीयक महोदय मसूदा जिला ब्यावर।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा मसूदा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा दिनांक 20.12.2024 जो प्रकरण संख्या 92/2022 उनवानी चम्पालाल बनाम् माधू व अन्य में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है :–

2025	231
19/5/25	